

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001

सं. 8-3(11)/2017-सा./मेडि.)

दिनांक : 02 .07.2021


कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीएसआईआर मुख्यालय एवं इसकी दिल्ली स्थित स्थापनाओं / प्रयोगशालाओं / संस्थानों के कार्मिकों एवं पेंशनरों हेतु कैशलैस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों से करार (एमओए) करने के संबंध में।

सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाता है कि सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा दिल्ली स्थित अपनी सभी स्थापनाओं के सेवारत कार्मिकों एवं पेंशनरों को इंडोर कैशलैस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ करार (एमओए) किया गया है जो कि करार करने की तिथि से प्रभावी हैं:-

क्रम संख्या	अस्पताल	समझौता ज्ञापन की तिथि
1.	सनतोम, अस्पताल, डी-5 & 6, प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, रोहणी, दिल्ली-110085	04.06.2021
2.	डी केरिंग टच (आई), आर-721, न्यू रजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060	04.06.2021

2. सिवाय आपातकालीन स्थिति के, क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए, अनुमति पत्र प्रत्येक मामले में प्रयोगशालाओं / संस्थानों द्वारा संबंधित अस्पताल / संस्थान को जारी करने होंगे। आपातकालीन मामलों में (इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत प्रमाणित) ऐसे किसी भी क्रेडिट पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
3. संबंधित अस्पताल/संस्थान अपने बिल/प्रतिपूरक दावे क्लेम फार्म के साथ जोकि पेंशनर, फैमिली पेंशनर अथवा कर्मचारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित या उनके अंगुठे की छाप के साथ सीधे सीएसआईआर की संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान को प्रस्तुत करेंगे।
4. सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाएं व संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि उक्त अस्पतालों/संस्थानों के बिल/प्रतिपूरक दावों का निपटान सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओए) में निर्धारित समयानुसार किया जाए।


(एस. के. यादव)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

1. उक्त उल्लिखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पताल; सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं की सूची के साथ-साथ सीएसआईआर की दिल्ली स्थित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के कार्मिक एवं पेंशनर संबंधी प्रतिपूरक दावो/बिलों को सीधे प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित।

2. निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल), डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012; सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
3. निदेशक, (सीएसआईआर-NIScPR), डॉ. के. एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012; सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
4. निदेशक, जीनोमिकी एवं समेकित जीव विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-आईजीआईबी), नार्थ कैम्पस, माल रोड, दिल्ली - 110007; सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
5. निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर- सीआरआरआई), दिल्ली-मथुरा रोड, डाकघर सीआरआरआई, नई दिल्ली-110025; सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
6. प्रमुख, मानव संसाधन विकास समूह (सीएसआईआर-एचआरडीजी), सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-110012; सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
7. प्रमुख, मानव संसाधन विकास केंद्र (सीएसआईआर-एचआरडीसी), सैक्टर-19, सेंट्रल गोवर्नमेंट एक्लेव, कमला नेहरू नगर, गाज़ियाबाद -201002 (उ. प्र.); सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा ज्ञापन में उल्लेखित सीजीएचएस एम्पैनलड अस्पतालों /संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन की प्रतियों के साथ और उक्त ज्ञापन को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध सहित।
8. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
9. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
10. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
11. मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यालय
12. विधि सलाहकार का कार्यालय
13. वरिष्ठ उप सचिव (के.का.)
14. वित्त एवं लेखा अधिकारी (रोकड़)
15. वित्त एवं लेखा अधिकारी (लेखा परीक्षा)
16. प्रमुख, आई टी डिवीज़न, इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
17. सीएसआईआर मुख्यालय, आईपीयू, सीएसआईआर-एचआरडीजी के नोटिस बोर्ड
18. कार्यालय प्रति

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAVAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110001

No.8-3(11)/2017- Gen(Med.)

Dated: 02.07.2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Cashless Medical facility to the employees and pensioners of CSIR Hqrs. and its Delhi-NCR situated Establishments / Laboratories / Institutes regarding signing of MOAs with CGHS empanelled hospitals.


It is brought to the notice of all concerned that CSIR Hqrs has signed MoAs with the CGHS empanelled hospitals as per the details given below for extending facility of indoor cashless treatment to the serving employees, pensioners, family pensioners and their dependents of its all Delhi / NCR based establishments from the effective date of MoAs:

S/ No.	Name and address of the hospital	Effective Date of MoA
1.	Santom, Hospital, D-5&6, Prashant Vihar, Outer Ring Road, Rohini, Delhi 110085	04.06.2021
2.	The Caring Touch (Eyes), R-721 New Rajender Nagar, New Delhi 110060	04.06.2021

2. Except in the case of emergency, permission letter for extending credit facility have to be issued by the laboratories/institutes to the concerned hospital/institute in each case. In the case of emergency (duly certified by the treating doctor), no such credit letter would be required.

3. The hospitals/institutes concerned will submit their bills/reimbursement claims alongwith claim forms (either signed by the employee/pensioner/family pensioner or their thumb impression) to the concerned laboratory/institute of CSIR directly.

4. The Delhi based laboratories/ institutes of CSIR are requested to ensure that bills/reimbursement claims of above hospitals/institutes are cleared within the time as stipulated under Memorandum of Agreements (MoAs).


(S. K. Yadav)
Under Secretary

Copy to:

1. Above mentioned CGHS empanelled hospitals for information alongwith list of Delhi based laboratories of CSIR with the request to submit reimbursement claims/bills to Delhi / NCR based laboratories/institutes concerned directly.

2. Director, National Physical Laboratory (CSIR-NPL), Dr K. S. Krishnan Marg, New Delhi – 110012; for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals / institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
3. Director, CSIR-NIScPR, Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi – 110012; for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals / institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
4. Director, Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB), North Campus, Maill Road, Delhi – 110007; for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals/ institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
5. Director, Central Road Research Institute (CSIR-CRRI), Delhi-Mathura Road, P.O. CRRI, New Delhi – 110025; for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals / institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
6. Head, CSIR – Human Resource Development Group (CSIR-HRDG), CSIR Complex, Library Avenue, Pusa, New Delhi – 110012; for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals/ institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
7. Head, Human Resource Development Center (CSIR-HRDC) Sector-19, Central Government Enclave, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad-201002 (UP); for information alongwith copies of MoAs signed by CSIR Headquarters with above mentioned CGHS empanelled hospitals / institutes and with the kind request to bring the above OM into the notice of all concerned.
8. Office of DG, CSIR
9. Office of JS (A), CSIR
10. Office of FA, CSIR
11. Office of CVO, CSIR
12. Office of LA, CSIR
13. Sr. Dy. Secretary (CO)
14. F&AO (Cash)
15. F&AO (Audit)
16. Head, IT Division: with the request to make this circular available on CSIR website
17. Notice Board(s) of CSIR Hqrs., IPU, CSIR – HRDG
18. Office Copy

सुचोपि